खान मंत्रालय

मांग संख्या 67

खान मंत्रालय

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	169.92	434.99	604.91	162.42	466.44	628.86	162.42	499.95	662.37	207.47	537.08	744.55
	पूंजी	***198.45***	...	*198.45*	*69.58*	...	*69.58*	*159.17*	...	*159.17*	*246.53*	...	*246.53*
	जोड़	**368.37**	**434.99**	**803.36**	**232.00**	**466.44**	**698.44**	**321.59**	**499.95**	**821.54**	**454.00**	**537.08**	**991.08**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	15.17	15.17	...	20.28	20.28	...	19.49	19.49	...	21.50	21.50
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग													
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	141.22	371.71	512.93	109.60	395.29	504.89	109.60	420.09	529.69	136.10	450.33	586.43
	4853	197.94	...	197.94	65.00	...	65.00	154.59	...	154.59	238.00	...	238.00
	जोड़	*339.16*	*371.71*	*710.87*	*174.60*	*395.29*	*569.89*	*264.19*	*420.09*	*684.28*	*374.10*	*450.33*	*824.43*
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	18.15	42.57	60.72	20.57	43.50	64.07	20.57	48.25	68.82	42.95	52.50	95.45
	4853	0.51	...	0.51	1.03	...	1.03	1.03	...	1.03	1.05	...	1.05
	जोड़	*18.66*	*42.57*	*61.23*	*21.60*	*43.50*	*65.10*	*21.60*	*48.25*	*69.85*	*44.00*	*52.50*	*96.50*
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	1.40	1.40	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
6. अन्य कार्यक्रम	2853	2.67	4.71	7.38	4.00	5.87	9.87	4.00	10.62	14.62	4.00	11.25	15.25
जोड़-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग		**368.49**	**420.39**	**788.88**	**210.20**	**446.16**	**656.36**	**299.79**	**480.46**	**780.25**	**431.10**	**515.58**	**946.68**
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	18.25	...	18.25	18.25	...	18.25	15.42	...	15.42
	4552	...	...	...	3.55	...	3.55	3.55	...	3.55	7.48	...	7.48
	जोड़	...	...	...	*21.80*	...	*21.80*	*21.80*	...	*21.80*	*22.90*	...	*22.90*
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. वास्तविक वसूलियां	2853	-0.12	-0.57	-0.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***368.37***	***434.99***	***803.36***	***232.00***	***466.44***	***698.44***	***321.59***	***499.95***	***821.54***	***454.00***	***537.08***	***991.08***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
8.01 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	12853	...	155.74	155.74	...	341.14	341.14	...	292.99	292.99	...	688.37	688.37

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
8.02 नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	12853	...	802.00	802.00	...	2343.00	2343.00	...	1010.00	1010.00	...	1737.00	1737.00
8.03 खनिज अन्वेषण निगम	12853	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	12.00	12.00	...	20.00	20.00
8.04 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	6.42	6.42	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.75	6.75
जोड़		**...**	**973.16**	**973.16**	**...**	**2699.64**	**2699.64**	**...**	**1321.49**	**1321.49**	**...**	**2452.12**	**2452.12**
ग. योजना परिव्यय*													
1. अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	12853	374.23	973.16	1347.39	221.20	2699.64	2920.84	310.79	1321.49	1632.28	444.10	2452.12	2896.22
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	21.80	...	21.80	21.80	...	21.80	22.90	...	22.90
जोड़		**374.23**	**973.16**	**1347.39**	**243.00**	**2699.64**	**2942.64**	**332.59**	**1321.49**	**1654.08**	**467.00**	**2452.12**	**2919.12**
**शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण कार्य परिव्यय का सम्मिलन*													
मांग संख्या 102	12853	5.86	...	5.86	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	13.00	...	13.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है। इसमे अवैध खनन के लिए जांच आयोग का प्रावधान भी शामिल है।

2. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:** यह प्रावधान अप-तटीय क्षेत्रों सहित देश के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है और इसमें उपग्रह चित्रों और हवाई सर्वेक्षणों के मार्फत सुदूर-संवेदन की अपेक्षाएं शामिल हैं। इसमें समुद्रगामी अनुसंधान पोत की अधिप्राप्ति का प्रावधान भी शामिल है।

3. **खनिज अन्वेषण निगम लि. को अनुदान:** केंद्र सरकार द्वारा संवर्धनात्मक आधार पर निगम को सौंपी गई गवेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।

4. **भारतीय खान ब्यूरो:** यह प्रावधान भारतीय खान ब्यूरो की, खानों का निरीक्षण और अध्ययन करने तथा निम्न विषयों पर अनुसंधान करने संबंधी आवश्यकताओं हेतु है :(i) निम्न ग्रेड अयस्कों और खनिजों का सज्जीकरण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से विशिष्ट खनन समस्याएं। इसमें खनन टेनीमेंट प्रणाली के कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर के लिए राशि भी शामिल है और राज्य सरकारों के क्षमता निर्माण - एनआईसी द्वारा अयस्क लेखांकन साफ्टवेयर का विकास और कार्यान्वयन के लिए प्रावधान भी है।

5. **भारत गोल्ड माइंस लि. को अनुदान:** यह प्रावधान अनिवार्य सेवाओं तथा अन्य के अनुरक्षण आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए है।

6. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विभिन्न स्वायत और वैज्ञानिक निकायों की विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं, तीन स्वायत निकायों को वेतन घटक, सूचना, शिक्षा, संचार स्कीम, तीन स्वायत निकायों के एक बार सांकेतिक प्रावधान और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार आदि के लिए अनुदान सहायता हेतु प्रावधान शामिल है। इसमें खनन क्षेत्र के विनियमित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान भी शामिल है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं /योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान:** वर्ष के दौरान, इस प्रावधान में से निधियों को, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के अधीन संबंधित योजनाओं के लिए,पुनर्विनियोजित किया जाएगा।

8. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा विभिन्न पूंजीगत स्कीमों के कार्यान्वयन की व्यवस्था है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम स्कीमों संबंधी पूंजीगत व्यय को आंतरिक तथा बाह्य बजट संसाधनों (आईईबीआर) से पूरा करते है।

8.01. **हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड़:** हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) भारत सरकार का उद्यम और देशज संसाधनों से प्राथमिक तांबे का एक मात्र उत्पादक, को 9 नवम्बर, 1967 को लोक क्षेत्र में निगमित किया गया। एचसीएल की प्रमुख गतिविधियों में खनन, वेनिफियेशन, प्रगालन, परिष्करण और अंतिम तांबा धातु को ब्रिकी योग्य उत्पादों में ढांलना शामिल है। योजना परिव्यय मुख्यत: खान विस्तार, खान प्रतिस्थापन और नवीकरण विकास और ग्रीन फील्ड अन्वेषण आदि के लिए है।

8.02. **नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड़:** नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड़, खान मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के उद्यम के रूप में 7 जनवरी, 1981 को निगमित किया गया और 1985-87 के दौरान शुरू किया गया। ओडिसा में स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परिसर है जिसमें बॉक्साइट खनन, एल्युमिना शोधनशाला, एल्युमिना प्रगालक और ऊर्जा सृजन शामिल है। योजना परिव्यय मुख्यत: ग्रीन फील्ड परियोजना और विस्तार योजनाओं, कैप्टिव कोयला खान, उत्कल-ई-कोयला खान द्वितीय चरण और विस्तार परिवर्धन/प्रतिस्थापन के लिए है।

8.03. **खनिज गवेषण कॉरपोरेशन लिमिटेड:** कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत खनिज गवेषण कॉरपोरेशन लिमिटेड दिनांक 21 अक्टूबर, 1972 को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य खनिजों के गवेषण और संदोहन के लिए उच्च गुणवत्ता, लागत सार्थक और समयबद्ध भूवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करना है। कंपनी दो प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत गवेषण गतिविधियां करती है। नामत: (क) भारत सरकार की ओर से तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से कोयला, लिग्नाइट और धात्विक/आधात्विक खनिजों के लिए उन्नयन कार्य और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और राज्य सरकार सहित अन्य एजेंसियों की ओर से उनके साथ एमईसीएल द्वारा क्रियान्वित संविदा/समझौता ज्ञापन के माध्यम से संविदाकायी योजनागत बजट सहायता और आईईबीआर नामत: नए संयंत्र और मशीनों आदि के प्रतिस्थापन/प्राप्ति के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए खान मंत्रालय की ओर से योजनागत परिव्यय उन्नयन कार्यों के लिए है।

8.04. **अन्य निकाय/संस्थान ::** खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए तीन स्वायत्त केंद्रों की स्थापना की गई है। ये हैं : (क) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (ख) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डव्लपमेंट एंड डिजाइन सेंटर और (ग) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हैल्थ। योजनागत परिव्यय उनकेअनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियों पर व्यय करने के लिए है।